न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 01/ 2015

1 बनवारीलाल पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 प्रेम पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1 श्योपत पुत्र आशी देवी उर्फ आसकी पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

2 खेता देवी पत्नी मनफुल जाति नायक निवासी 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

3 मनीराम पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

4 बिस्चन्द्र पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

5 संतोष पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

6 शोभा पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

7 इन्द्रा पुत्री मनफुल जाति नायक निवासी 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

8 मनीराम पुत्र किशनी देवी उर्फ किसनी देवी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

9 इमीलाल पुत्र किशनी देवी उर्फ किसनी देवी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

10 नेतराम पुत्र किशनी देवी उर्फ किसनी देवी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

11 सुरजाराम पुत्र किशनी देवी उर्फ किसनी देवी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

12 बिरमा पुत्री किशनी देवी उर्फ किसनी देवी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

13 गुडडी पुत्री किशनी देवी उर्फ किसनी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

14 पप्पी पुत्री किशनी देवी उर्फ किसनी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

15 सीमा पुत्री किशनी देवी उर्फ किसनी जाति नायक निवासी 2 आर बी तहसील पदमपूर जिला श्रीगंगानगर

16 कृष्ण पुत्र दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

17 सुभाष पुत्र दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

18 ओमप्रकाश पुत्र दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

19 सोना देवी पत्नी दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

20 राजू पत्नी रामकुमार पुत्र दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

21 विनोद पुत्र रामकुमार पुत्र दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

22 सन्दीप पुत्र रामकुमार पुत्र दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादी 20,21 नाबालिग जरिये कुरदती वली माता राजू पत्नी रामकुमार पुत्र दयाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

23 तुलछी पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

24 बोगाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी खारा भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

25 बहम्मा पत्नी भैराराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

26 किसना पुत्र भैराराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

27 मोहरा पुत्री भैराराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

28 गुडडी पुत्री भैराराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

29 चुन्दा पुत्री भैराराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

30 सोहनलाल पुत्र सहीराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

31 कालू पुत्र सहीराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

32 मंगला उर्फ मंगतू पुत्र सहीराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

33 पन्ना पुत्री सहीराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

34 गुडडी पुत्री सहीराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

35 चन्दो पुत्री सहीराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

36 तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल आर एक्ट

आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी स.प. धारा 151 सी पी सी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्रीमती कन्चन सेतिया मुन्जाल अधिवक्ता (वादीगण / अप्रार्थीगण)

2 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 / प्रार्थी)

दिनांक :– 24.02.2020

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी संक्षेप में इन अभिकथनों के साथ पेश किया कि उक्त अनवानी वाद पत्र में आज रोज की तारीख पेशी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 35 हेतू मुकर्रर है, उक्त अनवानी प्रकरण में हम प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम पेश किया जा चूका है। वादपत्र में वादाधीन चक 10 बी जी एस खाता संख्या 48 / 40 मु.न. 53 किन. 1 ता 20, 22 ता 25 में कुल 6.072 है आराजी में से वादीगण द्वारा ब.हि.ब. 9बीघा आराजी की खातेदारी घोषणा चाही गयी है। वादाधीन आराजी विरासतन प्रतिवादी संख्या 1, व 8 ता 15 के नाम से दर्ज कागजात हुयी है , जिसके प्रतिवादीगण संख्या 1 , 8 ता 15 रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा अपने दावा की मद संख्या 4 में चाही गयी 9 बीघा आराजी जरिये ईकरारनामा दिनांक 15.01.1982 द्वारा शोराम उर्फ सहीराम पुत्र केसराराम से खरीद किया होना अंकित किया है। तत्पश्चात दावा की मद संख्या 5 में सहीराम की मृत्यू के उपरान्त उसके पुत्रों द्वारा ईकरारनामा दिनांक 21.10.1982 द्वारा खरीद करना अंकित किया है। एवं दावा की मद संख्या 6 में ईकरारनामा दिनांक 28.06.1983 के आधार पर 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी खरीद किया जाना अंकित किया है। इसी प्रकार दावा की मद संख्या 7 में ईकरारनामा दिनांक 20.01.1988 द्वारा आराजी खरीद किया जाना अंकित किया है इस प्रकार वादीगण द्वारा दावा की मद संख्या 4 ता 7 में चार बार ईकरारनामा के आधार पर आराजी खरीद किया जाना अंकित किया है एवं जिनकी फोटो प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न की है। वादीगण द्वारा वादाधीन 9 बीघा आराजी की खातेदारी घोषणा जरिये ईकरारनामा आराजी की खरीद किये जाने के आधार पर चाही गयी है, जो कि ईकरारनामा की पालना <u>**विर्निदिष्ट अनूतोष अधिनियम 1963**</u> के तहत सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है राजस्व न्यायालय को अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा पालना कर खातेदारी घोषणा दिये जाने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार नही है, इस कारण वाद वादीगण राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही होने के कारण चलने योग्य नही है एवं वादीगण द्वारा चाहा गया अनूतोष विधि द्वारा वर्जित है एवं वाद वादीगण काबिले खारिजी के है। उक्त तथ्य हम प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा व काउन्टर क्लैम स्पष्ट रूप से अंकित किया है। वादीगण का तथाकथित ईकरारनामा 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के कारण अन्दर मियाद नही है एवं वादीगण को उक्त ईकरारनामा के आधार पर वाद हेतूक प्राप्त नही है इस कारण भी वाद वादीगण काबिले खारिजी के है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स.प. धारा 151 सी. पी.सी. पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वाद वादीगण इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

[signature]
अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वादाधीन चक 10 बी जीएस खाता संख्या 48/40 मु.न. 53 कि.न. 1 ता 20, 22 ता 25 में कुल 6.072 है. आराजी में से वादी द्वारा 9 बीघा की ब.हि.ब. खातेदारी घोषणा चाही गयी का तथ्य स्वीकार है। उक्त वादाधीन आराजी का कब्जा लिखित कथनों के आधार पर दिनांक 21.10.1982 से लेकर आज दिनांक तक वादीगण के पास चला आ रहा है उक्त वादाधीन आराजी पर हम वादीगण का सैटलैड पॉजेशन के आधार पर खातेदारी पाने के अधिकारी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय 2004 डी एन जे पेज 263 अनवानी रामगोवदा बनाम वरदप्पा नायडू में अभिनिर्धारित किया गया है कि सैटलेड पॉजेशन को विधि द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिये, जो प्रतिवादीगण की देख रेख मे चला आ रहा है, एव प्रतिवादीगण ने वादीगण के दावा दायर करने के बाद ही काउन्टर क्लैम पेश किया है, इससे पूर्व प्रतिवादीगण ने सन् 1982 से लेकर 2015 तक कभी भी वादीगण से कब्जा आराजी प्राप्त करने का कोई भी कानूनी चाराजोही नही की है। वादीगण द्वारा वादाधीन 9 बीघा आराजी की खातेदारी घोषणा जरिये लिखित कथनों के आधार पर चाही है एव प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर अपनी सहमति प्रकट की है एवं वादीगण ने मुख्य अनूतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा है दावा के अनूतोष में वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी की घोषणा प्रतिवादीगण से मांगी है जहां भूमि में अपने हिस्से की घोषणा की जाये तो धारा 88 तथा तृतीय अनुसूचि के क्रमांक 5 की दृष्टि में ऐसा वाद केवल राजस्व न्यायालय में किया जावेगा, या विचाराधीन होगा इस कारण वाद श्रीमान जी न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है प्रतिवादीगण ने वादीगण के दावा दायर करने के बाद ही काउन्टर क्लैम पेश किया है इससे पूर्व प्रतिवादीगण ने सन् 1982 से लेकर 2015 तक कभी वादीगण से कब्जा प्राप्त करने का कोई भी कानूनी चाराजोही नही की है। धारा 183 में स्पष्ट प्रावधाना है कि यदि किसी व्यक्ति का खातेदार के खिलाफ लगातार उसकी देख रेख में बिना किसी रोक टोक के लगातार कब्जा काश्त रहे तो 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद कब्जा धारी व्यक्ति स्वतः ही खातेदार काश्तकार घोषित हो जाता है एव राजस्व न्यायालय से ही उक्त खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। वादीगण घोषणा पाने के अधिकारी है या नही इस बिन्दू का निर्धारण पूर्ण साक्ष्य आने के बाद ही तैय किया जावेगा, वादीगण का दावा पृथक तथ्यों एव पृथक सबूतो पर निर्भर करता है इसलिये वादीगण का वाद पूर्ण सुनवाई के बाद फैसला किये जाने योग्य है इस स्टेज पर वादीगण का वाद निरस्त करने योग्य है एव इसी आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र काबिले ईखराजी है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश किये जाने का निवेदन किया। वादीगण/अप्रार्थीगण व प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गयी जो शामिल मिसल रहे लिखित बहस का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा आर आर टी 2017(2) पेज नं. 1100 नजीर पेश की गयी एव वकील वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा डी एन जे 2004 पेज नं. 263 नजीर पेश की गयी जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 4, 5, 6, 7 में अलग अलग दिनांक में निष्पादित हुये अनरजिस्टर्ड इकरारनामों के आधार पर वादाधीन आराजी में अपने हक हिस्सा की आराजी होना मानते हुये खातेदारी घोषणा एव स्थायी निषेधाज्ञा का अनूतोष चाहा गया है जो कि वादीगण/प्रार्थीगण के हक में निष्पादित हुये उक्त ईकरारनामा सहीराम पुत्र केसराराम व सहीराम पुत्र केसराराम के वारिसानों के द्वारा निष्पादित्त किये गये है एव वादाधीन आराजी में सहीराम पुत्र केसराराम का हक हिस्सा 0.759 है. बनता है जो कि मौका पर सहीराम पुत्र केसराराम के बारिसानों के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है, एव अप्रार्थीगण अश्री उर्फ आसकी, मनफुल व किश्नी उर्फ किसनी के वारिसान है जिनके नाम से विरासतन ईन्तकाल सन् 2014 मे दर्ज हो चुका है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने उक्त प्रतिवादीगण के नाम आराजी दर्ज होने के उपरान्त वाद पत्र पेश किया है, प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण आराजी वादाधीन में रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है जबकि किश्नी उर्फ किसनी , आसी उर्फ आसकी, व मनफुल द्वारा वादीगण के हक में किसी प्रकार का कोई लिखित दस्तावेज नही दिया गया है जिससें स्पष्ट हो सके की वादीगण/अप्रार्थीगण वादाधीन आराजी में सेटलेड पॉज़ेश्न के हैसियत से काबिज हो। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ईकरारनामा के निष्पादनकर्ता नही है एव अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त इकरारनामों के आधार पर आराजी में खातेदारी घोषणा की मांग की गयी है जो कि इकरारनामा 1982, 1983, 1988 में निष्पादित हुये है एव वादीगण/प्रार्थीगण ने लम्बे अन्तराम के बाद उक्त अंनवानी वाद पेश किया है। अनरजिस्टर्ड इकरारनामा की पालना विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत ही करवायी जा सकती है। वादीगण/अप्रार्थीगण का वादाधीन आराजी में स्वंय का हक हिस्सा होना साबित नही है एव वाद वादीगण/अप्रार्थीगण तृतीय अनूसुचि के दायरे से बाहर है। चूंकि वादीगण/अप्रार्थीगण का अनुतोष ईकरारनामा के आधार पर है एव वादीगण का चाहा गया अनुतोष सिविल न्यायालय का ही क्षैत्राधिकार है इकरारनामा की पालना सिविल न्यायालय से ही करवायी जा सकती है एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आदेश 7 नियम 11 सी पी सी स.प. धारा 151 सी पी सी से हिट होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रिंयात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 आदेश 7 नियम 11 सी पी सी सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाता है एव वाद वादीगण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्रीं जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमींल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.06 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: